

ORDER SHEET

II-155
C.J.(E)

THE COURT

191 of
2017 B.A

Date of
order or
Proceeding

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

Signature of
Parties or
Pleaders where
necessary

12/06/2017

आवेदक/आरोपीगण भूपेन्द्रसिंह गुर्जर, बंटी उर्फ केशव राठौर, विजय राठौर द्वारा श्री के0पी0 राठौर अधिवक्ता उपस्थित राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल अतिरिक्त लोक अभियोजक उपस्थित ।

पुलिस थाना गोहद चौराहा से अपराध क्र0-48/2017 अंतर्गत धारा-460, 396 भा.दं.वि0, 11/13 एम.पी.डी.बी.पी.के. एक्ट एवं धारा-25, 27 आयुध अधिनियम की कैफियत मय केस डायरी सहित प्राप्त ।

आवेदकगण के जमानत आवेदनपत्र के साथ भूपेन्द्रसिंह के पिता राजवीरसिंह उर्फ मुन्ना तथा बंटी के पिता मुंशीसिंह का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदनपत्र एवं शपथपत्र में यह बताया गया है कि यह आवेदकगण का प्रथम जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा-439 द.प्र.सं. का है, इस प्रकृति का कोई अन्य आवेदनपत्र समक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही निरस्त हुआ है, और न ही विचाराधीन है।

आवेदकगण/अभियुक्तगण के जमानत आवेदनपत्र पर उभयपक्ष के तर्क सुने गये ।

आवेदकगण की ओर से व्यक्त किया गया है कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। उन्हें झूठा फंसाया गया है, वे जमानत की शर्तों का पालन करने को तैयार हैं। उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गयी है।

राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री भगवानसिंह बघेल ने मौखिक रूप से घोर विरोध किया है और आवेदनपत्र निरस्त किए जाने पर बल दिया गया है।

उभयपक्ष को सुने जाने तथा कैफियत व केस डायरी का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि अभियोजन के अनुसार दि0-25/04/2017 की शात 6-7 बजे फरियादी संतोष जाटव के पिता रामसनेही घर से खाना खाकर टावर पर ड्यूटी के लिये गया था, जब वे सुबह लौटकर नहीं आया तो संतोष जाटव ने भिण्ड ग्वालियर हाईवे रोड सर्वा के पुरा के पास बी.एस.एन.एल. टावर कैम्पस पर जाकर देखा तो टावर के गेट का ताला टूटा हुआ जमीन पर पड़ा था। संतोष के पिता रामसनेही की लाश औंधे मुंह पड़ी थी तथा हाथ-पैर पीछे की ओर बंधे थे तथा मुंह व गले में साफ़ी का फंदा पड़ा था, पैर के पंजे, बाजू, आंखों में चोटों के निशान थे। खाट व दरी में खून लगा था एवं खाट के नीचे खून पड़ा था। संतोष के द्वारा पुलिस को सूचना देने पर मौके पर पुलिस आ गयी।

घटनास्थल पर ही देहाती नालिसी लिखी गयी। रामसनेही की हत्या ताला तोड़कर चोरी करते समय रामसनेही के द्वारा विरोध करने पर की गयी । दौराने अनुसंधान यह तथ्य सामने आया कि दिनांक-25 एवं 26/04/2017 की रात्रि में बंटी उर्फ केशव राठौर, रिकू उर्फ योगेश, भूपेन्द्रसिंह गुर्जर, विजय राठौर, बंटी उर्फ केशव का भाई रामजीत तथा डोली राठौर ने मिलकर ग्राम सर्वा के पुरा के पास मोबाइल के टावर से 24 बैट्रियां डकैती कर ले गये थे। टावर पर चौकीदार के द्वारा विरोध करने पर उसे बांधकर मुंह व गले में फंदा लगाकर तथा सरियों से मारपीटकर हत्या कर बैट्रियां ले गये थे।

केशव उर्फ बंटी राठौर से लोहे की एक रिच, 05 बैट्रियां एक्साइड कंपनी की, योगेश उर्फ रिकू से एक 315 बोर का कटटा, 02 जिंदा कारतूस, विजय राठौर से 315 बोर का एक कटटा, 02 जिंदा कारतूस, एक सफारी गाडी काले रंग की जिसपर नंबर प्लेट एम.पी.07 बी.ए.-2062 लिखा है, व 02 बैट्रियां, भूपेन्द्र उर्फ भूपे गुर्जर से एक सरिया लोहे का एवं काले रंग की 03 बैट्रियां, रिकू उर्फ योगेश से 07 काले रंग की बैट्रियां, जब्त की गयी हैं। केस डायरी के अनुसार रिकू उर्फ योगेश के विरुद्ध 13 अन्य आपराध प्रकरण, बंटी उर्फ केशव के विरुद्ध 08 आपराधिक प्रकरण, विजय राठौर के विरुद्ध 06 आपराधिक प्रकरण, भूपेन्द्र सिंह के विरुद्ध 06 आपराधिक प्रकरण हैं। इस मामले में अभियुक्तगण के द्वारा अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर घातक हथियारों से सुसज्जित होकर हत्या सहित डकैती की गयी है।

म0प्र0 डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 की धारा-5(2) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि यदि जमानत आवेदन का विरोध किया गया हो, तो आवेदन मंजूर नहीं किया जाएगा।

इस प्रकार धारा-5(2) के तहत विरोध किए जाने पर जमानत मंजूर किए जाने का वर्जन है। अतः आवेदकगण भूपेन्द्रसिंह गुर्जर, बंटी उर्फ केशव राठौर, विजय राठौर का प्रथम नियमित जमानत आवेदन **निरस्त** किया जाता है।

आदेश की प्रति केस डायरी में संलग्न कर केस डायरी वापिस की जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर दाखिल रिकॉर्ड हो।

{मोहम्मद अज़हर}
विशेष न्यायाधीश, डकैती
गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)